



संख्या- 38 /2026/ 1229011/सात-न्याय-9(बजट)-2026- 07-9099/12/2025

प्रेषक,

उदय प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट
सहारनपुर, बुलन्दशहर, बलिया, महोबा एवं सुल्तानपुर।

न्याय अनुभाग-9 (बजट)

लखनऊ: दिनांक 9 फरवरी, 2026

विषय- वित्तीय वर्ष 2025-26 में अतिरिक्त बजट उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-2030/ जे0ए0-1-बजट/2025, दिनांक 28.01.2026, पत्र संख्या- 1733/वाद लिपिक-बजट/2025 दिनांक 29.12.2025, पत्र संख्या-668/न्याय सहा0 दिनांक 28.01.2026, पत्र संख्या-411/जे0ए0-उन्तीस-शासकीय अधि0बजट /2025-26 दिनांक 28.01.2026 एवं पत्र संख्या-825/जे0ए0/बजट/2025-26 दिनांक 27.01.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से विभिन्न मानक मदों में चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-42 के अधीन लेखाशीर्षक-2014-न्याय प्रशासन-114-विधि सलाहकार और परामर्शदाता (काउन्सिल)-04-विधि परामर्शी तथा सरकारी अधिवक्ता के विभिन्न मानक मदों में अतिरिक्त बजट आवंटित किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2- उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-120/2025/933866/सात-न्याय-9(बजट)-2025-07-9002/1/2025 दि0 10.04.2025 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-42 के मानक मद-01-वेतन में धनराशि रू0 2153.00 लाख, 03-महंगाई भत्ता में धनराशि रू0 1992.25 लाख एवं मानक मद 16- व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान मद में रू0 3708.00 लाख की धनराशि व्यय हेतु प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी के निवर्तन पर रक्षित है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दि0 10 अप्रैल 2025 द्वारा प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी के निवर्तन पर रक्षित उक्त धनराशि में से निम्न तालिका के कालम-2 में उल्लिखित जनपदों के सम्मुख कालम-7 में अंकित विवरणानुसार रू0 338.10 लाख (रूपये तीन करोड़ अड़तीस लाख दस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

धनराशि रूपये लाख में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	मानक संख्या एवं मद	प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी के निवर्तन पर रक्षित धनराशि	जिले हेतु वर्तमान तक आवंटित कुल धनराशि	वांछित धनराशि	आवंटित धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	सहारनपुर	01-वेतन	2153.00	05.00	00.50	00.50
		03-महंगाई भत्ता	1992.25	00.65	02.60	02.60
		16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	3708.00	130.00	60.00	60.00

2	बुलन्दशहर	16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	3708.00	160.00	150.00	150.00
3	बलिया	16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	3708.00	100.00	35.00	35.00
4	महोबा	16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	3708.00	35.00	12.00	12.00
5	सुल्तानपुर	16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	3708.00	115.00	78.00	78.00
	योग				338.10	338.10

- 1- जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, उसी मद में आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
- 2- स्वीकृत धनराशि का उपयोग दि० 31.03.2026 तक अवश्य कर लिया जायेगा।
- 3- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- 4- शासनादेश सं०-120/2025/933866/सात-न्याय-9(बजट)-2025-07-9002/1/2025 दिनांक 10.04.2025 में निहित शर्तें यथावत् रहेंगी।
- 4- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं०-42 के अधीन लेखाशीर्ष-2014-न्याय प्रशासन-114-विधि सलाहकार और परामर्शदाता (काउन्सिल)-04-विधि परामर्शी तथा सरकारी अधिवक्ता के उपरोक्त मानक मदों के नामें डाला जायेगा।
- 5- वित्त(आय-व्यय) अनुभाग-1 के कार्यालय संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

उदय प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव।

सं०- 38 /2025/ 1229011 (1)/सात-न्याय-9(बजट)-2025, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ०प्र० प्रयागराज।
- 2- प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उ०प्र० प्रयागराज।
- 3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, दशम तल, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 4- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट- सहारनपुर, बुलन्दशहर, बलिया, महोबा एवं सुल्तानपुर।
- 5- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उ०प्र० शासन।
- 6- श्री पीयूष कुमार, उप सचिव एवं नोडल अधिकारी (बजट एलाटमेन्ट)।
- 7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12

8- गार्डबुक न्याय-9(बजट)।

आज्ञा से,

मुकेश कुमार सिंह-।।
विशेष सचिव।